संख्या–1556 (बी) / क.नि.–6 / 2017–20बी(17) / 2017

प्रेषक,

सी0एल0 गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित
परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, अनु0–6 लखनऊः दिनांकः 17 अक्टूबर, 2017

विषय– फसल ऋण मोचन योजना में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–9237 / कृषि–82 / 2017–18, दिनांक 23 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से फसल ऋण मोचन योजना में जनशक्ति के मद में कृषि निदेशालय द्वारा अपने पत्र संख्या–एस–001–094–पीए / आवंटन / ऋमोयो / 2017–18, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा आवंटित धनराशि में से कार्यदायी संस्था को अग्रिम के रूप में रू0 3,56,24,826 / – (रू0 तीन करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु यूपी डेस्को लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने के लिये इसका प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया था।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना के लिये जनशक्ति के मद में प्रथम छः माह में व्यय किये जाने हेतु रू0 3,56,24,826 / – (रू0 तीन करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि अग्रिम के रूप में यू0पी0 डेस्को को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इस मद में उपलब्ध रू0 3.00 करोड़ की धनराशि फिलहाल व्यय की जायेगी और इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अवशेष धनराशि की व्यय करने की अनुमति पृथक से प्रदान कर दी जायेगी।
2. उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त लेखा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या– ए–1–2774 / दस–15–1(1) / 69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या–ए–1–235 / दस–2011–15(1) / 69, दिनांक 10.06.11 तथा संख्या–12 / 2017 / ए–1–873 / दस–2017–15 / 1(1) / 69 दिनांक 18.09.201 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

3. इस धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4. धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज (अधिकतम फिक्स्ड डिपाजिट

की दर पर) अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

5. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धनराशि को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

6. उक्त स्वीकृति अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य कर लिया जाय तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराया जाय।

7. इस योजना के अन्तर्गत धन संचरण, लेखों के रख रखाव, आडिट इत्यादि के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8. अग्रिम के रूप में इस धनराशि का आहरण उसी मद से किया जायेगा, जिस में धनराशि आवंटन स्वरूप उपलब्ध करायी गयी है।

9. यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग–1 के अशासकीय पत्र सं0– एफ0 ए0 – 1 – 355/दस–2017, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 पर प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 1556 (1)बी/क.नि.–6/2017– 20बी(17)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रबंध निदेशक, यूपी डेस्को लखनऊ, उ0प्र0।
5– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, (एनआईसी)
7– निदेशक, कृषि उ0प्र0 लखनऊ
8– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1/5/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1।
10– वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग/वित्त (लेखा) अनुभाग–1।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव।